

कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी प्रेस-नोट

दिनांक:-20.02.2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत अभियुक्त मोहम्मद रफीक उर्फ छोटू को मुकदमें में मा0 न्यायालय द्वारा 3 माह के साधारण कारावास व 100 रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना-लक्सा में पंजीकृत मु0अ0सं0- 74/2023 धारा- 297 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त मोहम्मद रफीक उर्फ छोटू पुत्र मुख्तार उर्फ गुलाम निवासी बी-18/6 रेवड़ी तालाब थाना-भेलूपुर, वाराणसी को थाना लक्सा पुलिस व मॉनीटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक- 20-02-2024 को मा0 न्यायालय ACJM-II जनपद वाराणसी द्वारा दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त उपरोक्त को धारा-297 में 03 माह का साधारण कारावास व 100 रू0 का अर्थदण्ड से दंडित किया गया। अर्थ दण्ड न देने पर 03 दिवस का साधारण कारावास भुगतान होगा।

सोशल मीडिया सेल पुलिस उपायुक्त जोन-काशी कमिश्नरेट-वाराणसी